



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-३/१ अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(8)()सामा./सान्याअवि/2024/88903

जयपुर, दिनांक:- 19-02-2024

विज्ञाप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती (दिनांक 14 अप्रैल, 2024) के अवसर पर प्रतिवर्ष की भाँति जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने हैं। इस पुरस्कार में केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा, नकद राशि नहीं दी जायेगी। अतः पुरस्कारों के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव/आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:

क्र.सं	पुरस्कार	प्राप्तता की शर्तें/विन्दु
1	जिला स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्ति संबंधित जिले का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। उप खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र। संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रहे हों। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में संस्था/व्यक्ति की उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये गये हों।
2	जिला स्तरीय अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> महिला संबंधित जिले की मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। उप खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र। संस्था/महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में संस्था/महिला का उल्लेखनीय योगदान रहा हो। संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किये गये हों।
3	जिला स्तरीय अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> अधिवक्ता संबंधित जिले का मूल निवासी हो। जिला कलक्टर तथा जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र। (प्रत्येक का पृथक्-पृथक् प्रमाण पत्र) अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, जिला न्यायालय निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी की गई हो। ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुए प्रभाव। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

नोट:-आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 29.02.2024 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। गत वर्षों में पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in एवं जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संबंधित जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(जगजीत सिंह मौंगा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव